उप निदेशक (खनिज), डाल्टनगंज परिक्षेत्र आदि

बनाम

मुस्ताक अली एवं अन्य

2 जनवरी, 1996

[के. रामास्वामी तथा जी. बी. पटनायक, न्यायमूर्तिगण]

सेवा विधि :

बिहार राज्य सरकारी सेवा—वर्ग III तथा वर्ग IV पदों पर नियुक्ति—प्रक्रिया—जिला दण्डाधिकारी अथवा उप आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना—संबंधित विभाग को अभ्यर्थियों के चयन हेतु चयन समिति गठित करने के निर्देश—क्या संबंधित विभाग जिला दण्डाधिकारी/उप आयुक्त द्वारा किए गए चयन से बंधा है—अभिनिर्धारित, हाँ; क्योंकि यदि विधिवत् गठित समिति द्वारा किए गए चयन की उपेक्षा की जाए, तो प्रत्येक विभाग की आवश्यकता निष्फल हो जाएगी।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1996 की दीवानी अपील संख्या 1576 आदि।

पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी.आर. संख्या 20/1992 में दिनांक 6.10.1993 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

बी. बी. सिंह, अपीलकर्ताओं की ओर से।

उदय सिन्हा तथा अनिल के. झा, उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :

यद्यपि उत्तरदाताओं को सूचना पत्र की तामील कर दी गई थी, तथापि उनकी ओर से न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही अधिवक्ता के माध्यम से कोई उपस्थित हुआ।

दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की जाती है।

दीवानी अपील संख्या 1576/1996 अर्थात एस.एल.पी. (दीवानी) संख्या 5321/1994.

एकमात्र विवाद यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 24/1992 में दिनांक 11 मार्च, 1993 को पारित अपने विवादित आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं को उप आयुक्त, पलामू, डाल्टनगंज द्वारा तैयार की गई सूची को लागू करते हुए इस मामले के

उत्तरदाताओं की नियुक्ति करने का निर्देश देकर सही किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार राज्य में दो प्रक्रियाएँ प्रचलित थीं। पहली, वर्ग III तथा वर्ग IV कर्मचारियों की रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उप आयुक्त अथवा जिला दण्डाधिकारी द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाती थी। दूसरी ओर, खनन एवं भूविज्ञान विभाग को भी निर्देश दिए गए थे, जो अभिलेख पर परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न हैं। उनसे यह स्पष्ट होता है कि (i) उप निदेशक (भूविज्ञान) – अध्यक्ष, (ii) परिक्षेत्र के सहायक निदेशक (भूविज्ञान) – सदस्य, (iii) उस जिले के जिला कल्याण पदाधिकारी जहाँ परिक्षेत्र स्थित है – सदस्य, तथा (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक पदाधिकारी – सदस्य, से मिलकर गठित समिति को अपीलकर्ता-विभाग में वर्ग III एवं वर्ग IV कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन करना आवश्यक था। सूची में पाए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने के बजाय अपीलकर्ता न्यायालय ने जिला दण्डाधिकारी द्वारा भेजी गई सूची में से अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। प्रश्न यह है कि क्या विभाग उप आयुक्त अथवा जिला दण्डाधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा तैयार की गई सूची से बंधा हुआ है? यदि ऐसा माना जाए, तो सरकार के प्रत्येक विभाग की आवश्यकताएँ, जब उन्हें अपने-अपने नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करनी हो, निष्फल हो जाएँगी और वर्ग III तथा वर्ग IV कर्मचारियों की भर्ती के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया निरर्थक तथा अनावश्यक हो जाएगी। हमारा उत्तर है—नहीं। विभाग को ऐसे अभ्यर्थियों के चयन हेतु समिति गठित करनी थी और समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करनी थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ तक खनन एवं भूविज्ञान विभाग का संबंध है, वहाँ अभ्यर्थियों के चयन के लिए जिला प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से भिन्न एक अन्य निर्धारित प्रक्रिया लागू थी, जो विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार थी। यद्यपि उप आयुक्त अथवा जिला दण्डाधिकारी चयन के उपरान्त सूची तैयार करने के लिए सक्षम है, तथापि विभाग को अपने नियमों के अनुसार चयन एवं नियुक्ति करनी होती है। हमारा अन्यथा यह मत है कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा भेजी गई अभ्यर्थियों की सूची को स्वीकार करना विनियमों को निष्फल कर देगा और ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति को बढ़ावा देने वाला प्रतिकूल कदम सिद्ध होगा जो अन्य विभागों के पदों के लिए न तो योग्य हों और न ही पात्र। यह कोई ऐसा भर्ती बोर्ड नहीं था जो सभी विभागों के लिए गठित किया गया हो। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा उप आयुक्त द्वारा तैयार सूची का पालन करने का निर्देश देना पूर्णतः अनुचित था। उक्त निर्देश निरस्त किए जाते हैं।

अपीलकर्ताओं के लिए यह खुला रहेगा कि वे नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करें। विभाग में वर्तमान में उपलब्ध 8 रिक्तियों अथवा आज की तिथि तक उपलब्ध किसी भी पद के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु वह रोजगार कार्यालय से नाम मँगाएगा तथा समाचार-पत्रों में प्रकाशन भी कराएगा। इस प्रयोजन के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किए जाएँगे और रोजगार कार्यालय से भी नाम मँगाए जाएँगे। तत्पश्चात

समिति नियमों के अनुसार उनके दावों पर विचार करेगी तथा अभ्यर्थियों का चयन करेगी और उसके बाद नियुक्ति आदेश जारी किए जाएँगे।

1996 की दीवानी अपील संख्या अर्थात एस.एल.पी. (दीवानी) संख्या 15440/1994

यह अपील श्रम एवं नियोजन विभाग में वर्ग ।।। तथा वर्ग ।V कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित है। ऊपर दिए गए कारणों के आधार पर, उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश विधि की दृष्टि से पूर्णतः अनुचित थे और उन्हें निरस्त किया जाता है।

परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

जी.एन. अपीलें स्वीकार की गईं।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।